प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 09.06.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 278/26 धारा 108 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.05.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी मुकेश अहिरवाल पुत्र कन्छेदी अहीरवाल ग्राम महुंगवा कलां थाना तेंदूखेडा जिला दमोह मध्य प्रदेश ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्त दुर्गा पुत्र बबलू निवासी ग्राम महगुवा कला थाना तेदूंखेडा जिला दमोह मध्य प्रदेश द्वारा आवेदक के नाबालिंग पुत्र रंजीत अहीरवाल को प्रताडित व परेशान करना, जिसके पश्चात मजबूर होकर आवेदक के पुत्र रंजीत द्वारा फांसी लगाकर आत्म हत्या कर लेना। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 278/26 धारा 108 बीएऩएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 278/26 धारा 108 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दुर्गा पुत्र बबलू अहीरवाल निवासी ग्राम महगुवा कला थाना तेदूंखेडा जिला दमोह मध्य प्रदेश

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना बागपत।

2-पीआरडी 6017 नरेशपाल थाना बागपत।

3-का0 चा0 1120 धीरज थाना बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली **दिनाँक 09.06.2026**

थाना छपरौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचनाः- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाऐ। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाऐगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- गौरव पुत्र रणधीर निवासी ग्राम नांगल थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ.नि. श्री वृक्षपाल सिंह थाना छपरौली ।

2. है0का0 383 सुरेश कुमार थाना छपरौली ।

3. का0 1040 अजीत कुमार थाना छपरौली ।

4. रि0का0 583 रोहित कुमार थाना छपरौली ।

प्रेस नोट थाना साइबर क्राइम

जनपद बागपत   दिनाँक 09.06.2026

थाना साइबर क्राइम बागपत पुलिस टीम ने थाने के मु0अ0सं0- 27/2026 धारा 66 (D) IT Act से सम्बन्धित फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर अपमानजनक व अशोभनीय पोस्ट करने वाले एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 17 मोबाइल फोन, 70 सिम कार्ड, 04 लेपटॉंप, 01 वाईफाई राउटर, एक आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज बरामद बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

थाना साइबर क्राइम बागपत पर वादी द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें आरोप अंकित किये गये कि अज्ञात फेसबुक आईडी धारक द्वारा फर्जी आईडी बनाकर अपमानजनक बाते व अशोभनीय पोस्ट की जा रही है।
इस संबंध में थाना साइबर क्राइम पर मु0अ0सं0- 27/2026 धारा 66 (D) IT Act पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में जनपद बागपत में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना साइबर क्राइम बागपत पुलिस टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0- 27/2026 धारा 66 (D) IT Act से सम्बन्धित फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर अपमानजनक व अशोभनीय पोस्ट करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्ज से घटना में प्रयुक्त 17 मोबाइल फोन, 70 सिम कार्ड, 04 लेपटॉंप, 01 वाईफाई राउटर, एक आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज बरामद हुए है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मनोज पुत्र हड़मानाराम निवासी ग्राम बनिया थाना जसरा जनपद बीकानेर राजस्थान उम्र 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः- पकड़े गए अभियुक्त से उक्त फेसबुक आईडी चलाने बाले मोबाईल फोन व अन्य सामाग्री बरामद -

- मोबाइल फोन – कुल 17
- सिम कार्ड – 70
- लेपटॉँप – 04
- वाईफाई राउटर – 01
- एक आधार कार्ड
- अन्य दस्तावेज

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैने चार फर्जी फेसबुक आईडी जो कि रिंकु जाट, राजू धामा, सुमित जाट, विशाल यादव के नाम से बनाई थी और इन आईडी से किसी भी व्यक्ति को बदनाम करने के उद्देश्य से अपमानजनक व अशोभनीय पोस्ट करता था।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक कुलदीप सिंह सिरोही, थाना प्रभारी साइबर क्राइम, बागपत।
2. उ0नि0 नरेश पाल सिंह, साइबर क्राइम, बागपत।
3. उ0 नि0 उमेश कुमार, साइबर क्राइम, बागपत।
4. है0 का0 681 दीपक बरार, साइबर क्राइम, बागपत।
5. है0 का0 369 धीरज कुमार साइबर क्राइम, बागपत
6. का0 464 ललित कुमार, साइबर क्राइम, बागपत।
7. का0 229 देवेश कसाना, साइबर क्राइम, बागपत।
8. रि0 आ0 अमन यादव, साइबर क्राइम, बागपत

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत   दिनाँक 09.06.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 मादक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा व घटना में प्रयुक्त एक मोटर साईकिल डिस्कवर बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से अवैध 01 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा व घटना में प्रयुक्त एक मोटर साईकिल डिस्कवर न0 UP 17 C 8427 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 370/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जीवन पुत्र पीतम निवासी मौहल्ला झंकार गली हनुमान मंदिर कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत उम्र 32 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

- 01 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा।
- एक मोटर साईकिल डिस्कवर न0 UP 17 C 8427

गिरफ्तार अभियुक्त जीवन का अपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0स0 167/26 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली बागपत

2- मु0अ0सं0 370/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली बागपत

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम-</u>

1-उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

2-है0का0 151 संदीप थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

3-है0का0 652 मोहित थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत